

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक विगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों को विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रफाल डिप्टी जेवन आरक्षी प्रोजेक्टाई
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जा-1
 आवासीय

आवेदन क्रमांक 660 दिनांक 04/08/2020
 पता: मनोहर लाल 5/6 श्री कमारपुर पी
 न राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P-5/100 73 सुनीलम कोलोनी प्रखुरिया
 धारा 184 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु नानाधिन कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5900/- जमा
 जारी स्वीक संख्या 2069/230/33/
 दिनांक 04/08/2020 जमा पत्र की है ।

(Signature)
04/08/2020

सहायक नगर निर्देशक
 नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
6977880171